फर्द अहकाम

कैलाश बनाम बृजमोहन व अन्य

[illegible] न्यायालय

केस संख्या 149/2021 वाद

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	20/12/21	अधिवक्ता रामनिवास शर्मा ने वाद अन्तर्गत धारा 88 व 188 R.T. Act का पेश किया। कार्यालय रिपोर्ट दर्ज है। इसलिए अन्तर्गत धारा 80(2) CPC का स्वीकार किया जाता है। दर्ज रजिस्टर हो प्रतिवादीगण की तलबी की जाकर पत्रावली दिनांक 12/1/22 को पेश हो।	
	12/1/22	मसाइल पीठासीन ऑफीसर दौरे / अवकाश पर है अतः अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 17/2/22 को पेश हो।	
	17/2/22	मसाइल ऑफीसर दौरे / अवकाश पर है अतः अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 20/4/22 को पेश हो।	
	20/4/22	मसाइल ऑफीसर दौरे / अवकाश पर है अतः अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 16/6/22 को पेश हो।	
	16/6/22	व. का उप/ [illegible] व प्रतिवादी अधिवक्ता [illegible] राजीनामा एवं [illegible] उभय [illegible] बयान का पेश किया गया/उभय- शामिल पत्रावली किया पक्षकारान एवं उभय पक्षकारगण के अधिवक्ता के राजीनामा के अनुसार वादी का वाद	वादी [illegible] 9.4 (रामनिवास शर्मा) प्रतिवादी बृजमोहन [illegible]

Signature Not Verified

Digitally signed by Seema Khetan
Date: 2022.10.06 15:17:37 IST
Reason: SelfAttested

फर्द अहकाम

[illegible] बनाम ब्रजमोहन वगैरह

नाम न्यायालय

केस संख्या

14/9/2021 पा.उ.

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
		राजीनामा के अनुसार अंतिम डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया गया। पत्रावली एवं राजीनामा का अवलोकन किया गया। वादी का वाद राजीनामा के अनुसार अंतिम डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः वादी का वाद राजीनामा के अनुसार अंतिम डिक्री किया जाता है। डिक्री [illegible] से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली की खाना आबाद होकर उप नम्बर से कम हो तथा दाखिल दफ्तर हो। 88e

... न्यायालय ... जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Seema Khetan
Date: 2022.10.06 15:17:37 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट चौमूँ, जिला जयपुर

मु.न. 149/2021

उनवान

1. कैलाश पुत्र श्री नाथूराम मीणा, जाति मीणा, निवासी–बावडी गेट, मीणों का मौहल्ला, कस्बा चौमूं, हाल निवासी–ग्राम मोरीजा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

वादी

बनाम

1. बृजमोहन पुत्र श्री हनुमान सहाय, जाति मीणा, निवासी–ग्राम तिगरिया, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
2. राजस्थान सरकार जरिये लेण्ड होल्डर तहसीलदार महोदय, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
3. उप पंजीयक महोदय, उप पंजीयन कार्यालय, चौमूँ, जिला जयपुर राजस्थान।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणा, व स्थायी निषेधाज्ञा
वाद अन्तर्गत धारा 88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय दिनांक 16.06.2022

पत्रावली पेश हुई। वादी ने वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वाके ग्राम मोरीजा, पटवार हल्का मोरीजा–ए, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर में स्थित हाल खाता संख्या 127 के बने खसरा नम्बर 363/1 रकबा 0.21 हैक्टेयर भूमि ही उक्त वादपत्र में वादग्रस्त है जिसे वाद पत्र के अग्रीम मदों में भूमि वादग्रस्त के नाम से सम्बोधित किया गया है।

उक्त वादग्रस्त भूमि सम्वत 2066–67 में वादी के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज रही है। जिसका वादी निर्बाध रूप से उपयोग उपभोग कर लाभ उठाता रहा है। प्रतिवादी संख्या 1 की भूमि वादी की भूमि के पीछे अवस्थित रही है। जिस भूमि में आने जाने हेतु प्रतिवादी संख्या 1 के पास कोई रास्ता उपलब्ध नहीं रहा है। जिस कारण प्रतिवादी द्वारा वादी से अपनी भूमि में आने जाने हेतु रास्ते की मांग की गयी। जिस पर वादी द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 को उसकी भूमि में आने जाने हेतु स्वयं की भूमि के उत्तरी ओर भूमि छोडकर 35 फीट चौडा व उत्तर पूर्वी भुजा 225 फीट, दक्षिणी पश्चिमी भुजा 205.8 फीट कुल क्षेत्रफल 833.37 वर्गगज अर्थात 700.21 वर्गमीटर भूमि का वादी द्वारा जरिये विक्रय पत्र रास्ते के प्रयोजन हेतु प्रतिवादी संख्या 1 को विक्रय की गयी। जिसका विक्रय पत्र दिनांक 17.04.2013 को किया गया जो विक्रय पत्र उप पंजीयक महोदय चौमूँ के यहां दिनांक 03.05.2013 को पुस्तक संख्या जिल्द संख्या 461 में पृष्ठ संख्या 95 कम संख्या 2013005085 पर पंजिबद्ध किया जाकर अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 1624 से पृष्ठ संख्या 358 से 364 पर चस्पा किया गया। जिस विक्रय पत्र में वर्णित भूमि उक्त वादग्रस्त में वादग्रस्त है, जिसे वाद पत्र के अग्रीम मदों में विवादग्रस्त विक्रय पत्र में वर्णित भूमि के नाम से सम्बोधित किया गया है तथा उक्त विक्रय पत्र की दिनांक से रास्ते हेतु विक्रय की गयी भूमि का वादी व प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा रास्ते के रूप में उपयोग उपभोग किया जा रहा है तथा वर्तमान समय में भी उक्त भूमि पर निर्बाध रूप से रास्ते के रूप में उपयोग उपभोग में ली जा रही है। जिसमें आसपास के सभी व्यक्ति उक्त रास्ते का उपयोग उपभोग आने जाने में करते चले आ रहे।

Signature Not Verified
Digitally Signed by Seema Khetan
Date: 2022.10.06 15:17:37 IST
Reason: SelfAttested

उक्त भूमि वादग्रस्त में प्रतिवादी संख्या 1 के हक में विवादग्रस्त विक्रय पत्र में वर्णित भूमि रास्ते की भूमि रही है जो मौके पर रास्ते के रूप में काम में आ रही है। जिसको काननून किसी भी व्यक्ति को खातेदारी हक अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते है लेकिन प्रतिवादी

उपखण्ड अधिकारी
चौमूँ, जिला जयपुर

संख्या 1 द्वारा प्रतिवादी संख्या 2 से मिलीभगत कर खातेदारी अधिकार प्रदान करने की कुचेष्ठा से उक्त रास्ते की भूमि का नामान्तकरण स्वयं के नाम इन्द्राज करवा लिये गये। जिसके खातेदारी अधिकार प्रदान करने का प्रतिवादी संख्या 2 को कतई कोई कानूनन विधिक हक अधिकार हांसिल नहीं रहा है। प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 को प्रदान किये गये खातेदारी हक अधिकार प्रारम्भ से ही वादी के अधिकारों के प्रति शुन्य व बेअसर है।

वादी व आसपास के व्यक्ति उक्त वादग्रस्त विक्रय पत्र में वर्णित भूमि में से निर्बाध रूप से आने जाने हेतु उपयोग उपभोग में लेते चले आ रहे है। दिनांक 18.12.2021 को वादी उक्त रास्ते से जा रहा था तभी प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा वादी को उक्त रास्ते से आने जाने हेतु इन्कार किया गया तथा वादी को एलानियां धमकी दी गयी कि उसके द्वारा उक्त रास्ते की भूमि में खातेदारी हक अधिकार प्राप्त कर लिये है, अब वह उक्त विवादग्रस्त विक्रय पत्र में वर्णित रास्ते की भूमि से किसी भी व्यक्ति को आने जाने नहीं देगा तथा वह उक्त रास्ते को बंद कर देगा। जिस पर वादी द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 निवेदन किया गया कि उसके द्वारा वादग्रस्त विक्रय पत्र में वर्णित भूमि का विक्रय रास्ते के प्रयोजन किया गया है तथा विक्रय पत्र में यह स्पष्ट रूप से अंकित है कि उक्त भूमि का उपयोग रास्ते के रूप में किया जावेगा। जिसमें से सभी व्यक्ति आ जा सकेगें। जिस पर प्रतिवादी संख्या 1 उग्र हो गया तथा वादी को एलानियां धमकी देने लगा कि वह उसे प्राप्त खातेदारी अधिकारों की आड में किसी भी व्यक्ति को आने जाने नहीं देगा तथा उक्त रास्ते को बंद कर देगा, उसे जो करना है सो करें । प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा वादी को दी गयी धमकी के कारण वादी को उक्त वाद पत्र न्यायालय श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत करना लाजमी आया है।

अतः वादी द्वारा वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादी का वाद पत्र स्वीकार फरमाया जाकर निम्न प्रकार अनुतोष प्रदान किया जावे कि:–

(क) वादी का वाद बाबत घोषणा स्वीकार फरमाया जाकर विवादग्रस्त भूमि बाबत तस्दीक विवादग्रस्त विक्रय पत्र में वर्णित भूमि को गैर मुमकिन रास्ते की भूमि दर्ज करते हुये प्रतिवादी संख्या 1 को प्रदान किये गये खातेदारी हक अधिकार को अवैध व शुन्य घोषित किया जाकर तदानुसार प्रतिवादी संख्या 1 को वादग्रस्त विक्रय पत्र दिनांकित 17.04.2013 द्वारा विक्रित भूमि को गैर मुमकिन रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान किये जावे।

(ख) वादी का वाद बाबत स्थायी निषेधाज्ञा का स्वीकार फरमाया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा इस कदर पाबन्द करवाये कि प्रतिवादी संख्या 1 वादग्रस्त विक्रय पत्र में वर्णित भूमि के आने जाने मे कोई व्यवधान कारित नहीं करें, ना ही रास्ते को बंद करें, ना ही रास्ते को सकडा करें, ना ही रास्ते में किसी प्रकार का ..., ना ही रास्ते में पत्थर, मिट्टी इत्यादि डाले तथा प्रतिवादी संख्या 2 विवादग्रस्त विक्रय पत्र में वर्णित भूमि का विक्रय, रहन, बख्शीश इत्यादि सम्बन्धित कोई भी दस्तावेज ना तो ... करें, ना ही तस्दीक करें तथा प्रतिवादी संख्या 2 विवादग्रस्त विक्रय पत्र में वर्णित भूमि के मौका की यथास्थिति बनाये रखे । उपरोक्त सभी कार्य प्रतिवादीगण ना तो स्वयं करें, ना ही अपने किसी ऐजन्ट, सर्वेन्ट या वर्कमैन आदि के जरिये करवायें अर्थात रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Seema Khetan
Date: 2022.10.06 15:17:37 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चौमूं, जिला जयपुर

पत्रावली पेश हुई। दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण की तलबी की गई। अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा जवाब दावा प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि मन जवाबदाता की भूमि वाद पत्र में वर्णित वादग्रस्त भूमि के पिछे अवस्थित है। जिस भूमि में आने

जाने हेतु कोई रास्ता मौजूद आने जाने हेतु मन जवाबदाता द्वारा नहीं रहा है। भूमि वादग्रस्त वादी से रास्ते की भूमि हेतु एक विक्रय पत्र उप पंजीयक महोदय चौमूं के यहां दिनांक 03.05.2013 को तस्दीक करवाया गया। जो विक्रय पत्र दिनांक 03.05.2013 को पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 461 2013005085 पर पंजीबद्ध किया में पृष्ठ संख्या 95 क्रम संख्या जाकर अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 1624 के पृष्ठ संख्या 358 से 364 पर चस्पा किया गया।

उक्त विक्रय पत्र तस्दीक होने के बाद वादी भूमि वादग्रस्त की उत्तरी दिशा की ओर से 35 फीट चौडा रास्ता कायम कर लगातार उपयोग उपभोग कर रास्ते के रूप में काम में लिया जा रहा है तथा मौके पर उक्त रास्ता कायम रहा है। जो रास्ता वादी का एकमात्र रास्ता है। जिससे किसी भी व्यक्ति का कोई सम्बन्ध सरोकार हक अधिकार नहीं है, लेकिन मन जवाबदाता द्वारा आज दिवस तक किसी भी व्यक्ति को उक्त रास्ते से आने जाने से इन्कार नहीं किया गया है। यदि मन जवाबदाता के राजस्व रिकार्ड में उक्त रास्ते का अंकन कर दिया जाता है तो मन जवाबदाता को कोई आपत्ती ऐतराज नहीं है।

वादी व प्रतिवादी की ओर से प्रार्थना पत्र बाबत राजीनामा पेश कर निवेदन किया गया है कि उक्त प्रकरण में वादी व प्रतिवादी के मध्य लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर स्वेच्छाया पूर्वक राजीनामा हो गया है। जिस राजीनामा अनुसार वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 363/1 रकबा 0.21 हैक्टेयर में से प्रतिवादी द्वारा वादी की भूमि के पीछे स्थित स्वयं की भूमि में आने जाने हेतु 35 फीट चौडा व भूमि के उत्तर पूर्वी भुजा 225 फीट, दक्षिणी पश्चिमी भुजा 205.8 फीट तथा 35 फीट चौडा, कुल क्षैत्रफल 700.21 वर्गमीटर रास्ता खरीद किया गया था। जिस रास्ते की भूमि का उपयोग वादी व प्रतिवादी संख्या 1 अपने आने जाने में करते चले आ रहे है।

वादी व प्रतिवादी संख्या 1 उक्त रास्ते की भूमि का उपयोग अपने आने जाने में भविष्य में करते रहेगें। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा उक्त रास्ते को कभी भी बन्द नहीं किया जावेगा, ना ही उक्त रास्ते को कभी सकड़ा किया जावेगा, ना ही किसी प्रकार का कोई व्यवधान कारित किया जावेगा, ना ही किसी प्रकार के खातेदारी हक अधिकारों की मांग की जावेगी।

उक्त राजीनामा अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्राप्त किये गये खातेदारी अधिकारों को अवैध व शुन्य घोषित किया जाकर, राजस्व रिकार्ड में गैर मुमकिन रास्ता दर्ज फरमाया जावे।

उक्त राजीनामा से दोनो पक्षकार पाबन्धीत रहेगें तथा कोई भी पक्षकार उक्त राजीनामा की शर्तो को भंग नहीं करेगा अतः राजीनामा प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के मध्य लोक अदालत की भावना से हुये राजीनामा को तस्दीक किया जाकर वादी का वाद पत्र राजीनामा अनुसार डिकी फरमाये जाने के आदेश प्रदान करें।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात, जवाब [illegible] जीनामा का अवलोकन किया गया। उभयपक्षकारान को सुना गया। जिससे वादी की ओर से [illegible] बाबत घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र बाबत राज[illegible] नूनन स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Seema Khetan
Date: 2022.10.06 15:17:37 IST
Reason: SelfAttested

अतः वादीगण का वाद पत्र बाबत घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा का स्वीकार किया जाता हैं तथा वाके ग्राम मोरीजा, पटवार हल्का मोरीजा–ए, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर में विवादग्रस्त भूमि बाबत तस्दीक विवादग्रस्त विक्रय पत्र में वर्णित भूमि को गैर मुमकिन रास्ते की भूमि दर्ज करते हुये प्रतिवादी संख्या 1 को प्रदान किये गये खातेदारी हक अधिकार को अवैध व शुन्य

घोषित किया जाकर तदानुसार प्रतिवादी संख्या 1 को वादग्रस्त विक्रय पत्र दिनांकित 17.04.2013 द्वारा विक्रित भूमि को गैर मुमकिन रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। राजीनामा दिनांक 16.06.2022 निर्णय का भाग रहेगा। शेष हिस्सा बदस्तुर रहेगा। डिक्री जारी हों। डिकी की प्रति तहसीलदार चौमूं को पालनार्थ प्रेषित हों।

निर्णय आज दिनांक 16.06.2022 को खुले न्यायालय मे मेरे द्वारा सुनाया गया।

(सीमा खेतान)
आर.ए.एस
उपखण्ड अधिकारी
चौमूं (जयपुर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Seema Khetan
Date: 2022.10.06 15:17:37 IST
Reason: SelfAttested